



# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक : सि०वि०वि०/प्रबन्ध समिति/183 /2018

दिनांक 24/11/2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

संतराम चौधरी श्रीमती राजकली देवी

एजुकेशनल एकेडमी, दसिया बस्ती।

विषय- प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 29.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा आपके महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2 (13) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के चुनाव की तिथि 26.11.2017 से पाँच वर्ष अथवा सोसाइटी के नवीनीकरण की तिथि जो भी पहले हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ मान्यता प्रदान की जाती है कि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/शपथपत्रों/साक्ष्यों में कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/असत्य पायी जाती है तो प्रबन्ध समिति का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नवत् होंगे-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी                      | अध्यक्ष     |
| 2. श्री अजय प्रताप चौधरी                            | उपाध्यक्ष   |
| 3. श्री विकास वर्मा                                 | प्रबन्धक    |
| 4. श्री राम तीरथ यादव                               | उप प्रबन्धक |
| 5. श्री सुजीत कुमार                                 | सदस्य       |
| 6. श्री तिलक राम                                    | सदस्य       |
| 7. श्री शिव मूरत                                    | सदस्य       |
| 8. प्राचार्य (परिनियम 13.05 के अनुसार)              | पदेन सदस्य  |
| 9. शिक्षक प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)       | पदेन सदस्य  |
| 10. शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार) | पदेन सदस्य  |

अतः तदनुसार अवगत हों।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।